फा.सं. ई- 11012/01/2021-हिंदी
भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय

7वां तल, ईस्ट विंग,
चंद्रलोक बिल्डिंग,
नई दिल्ली-110011
दिनांक: 15-02-2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय : पर्यटन से सम्बन्धित विषयों पर मूल रूप से हिन्दी में लिखी पुस्तकों को पुरस्कृत करने के लिए राहुल सांकृत्यायन पर्यटन पुरस्कार योजना 2019-20 एवं 2020-21 के लिए प्रविष्टियों का आमंत्रण।

पर्यटन मंत्रालय द्वारा पर्यटन से संबन्धित विषयों पर मूल रूप से हिन्दी में लिखी पुस्तकों को पुरस्कृत करने के लिए "राहुल सांकृत्यायन पर्यटन पुरस्कार योजना" चलाई जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 के लिए प्रविष्टियाँ आमंत्रित की जाती है। वर्ष 2019-20 की योजना में केवल उन्हीं पांडुलिपियों/पुस्तकों को स्वीकृत किया जाएगा, जो 1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 की अवधि में लिखी अथवा प्रकाशित की गई होंगी एवं वर्ष 2020-21 के लिए 1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक की अवधि में प्रकाशित पांडुलिपियाँ/पुस्तकें स्वीकार्य होंगी। मंत्रालय में प्रविष्टियां प्राप्त होने की **अंतिम तारीख 25 मार्च, 2022** है। इसके साथ योजना का विवरण और प्रविष्टि फार्म संलग्न है। इनको इस मंत्रालय की वेबसाइट www.tourism.gov.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

इस मंत्रालय के अधीन आने वाले कार्यालयों से अनुरोध है कि वे इस योजना का अपने तथा अपने अधीन आने वाले कार्यालयों तथा कार्यक्षत्र में व्यापक प्रचार-प्रसार करें और इच्छुक प्रतिभागियों को योजना विवरण और प्रविष्टि फार्म देने के लिए इनकी प्रतियाँ अपने कार्यालय के सूचना काउंटर पर भी रखें। इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों आदि से भी अनुरोध है कि वे अपने तथा अपने अधीनस्थ कार्यालयों आदि में इस योजना को परिचालित करें तथा इस सम्बन्ध में जारी किए गए पत्र की एक प्रति सूचना के लिए इस मंत्रालय को भी भिजवाएं।

(संतोष सिल्पोकर)
संयुक्त निदेशक (राजभाषा)
दूरभाष: 011-23724155

संलग्नक: **यथोपरि।**

प्रति,

1. पर्यटन मंत्रालय के सभी अधिकारी और प्रभाग/अनुभाग।
2. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
3. निदेशक (सीएंडएम), भारत पर्यटन विकास निगम, नई दिल्ली।
4. क्षेत्रीय निदेशक, भारत पर्यटन, नई दिल्ली, चेन्नै, मुम्बई, कोलकाता और गुवाहाटी।
5. निदेशक (प्रशा. एवं वित्त), एनसीएचएमसीटी, नोएडा/आईआईटीटीएम, ग्वालियर।
6. सभी प्रधानाचर्य/प्रभारी होटल प्रबंध संस्थान, नई दिल्ली, चेन्नै, मुम्बई, कोलकाता, लखनऊ, ग्वालियर, भोपाल, बेंगलुरू, गोवा, हैदराबाद, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, गांधी नगर, गुरदासपुर, गुवाहाटी, हाजीपुर, जयपुर, शिलांग, कुफरी (शिमला), राजबाग (श्रीनगर) और त्रिवेन्द्रम।
7. निदेशक एनआईसी से अनुरोध है कि इसे पर्यटन मंत्रालय की उक्त बेवसाइट पर अपलोड करवा दें।

राहुल सांकृत्यायन पर्यटन पुरस्कार योजना (वर्ष 2019-20 एवं 2020-21)

पर्यटन मंत्रालय द्वारा पर्यटन से सम्बन्धित विषयों पर मूल रूप से हिन्दी में लिखी गई पुस्तकों को पुरस्कृत करने के लिए ''राहुल सांकृत्यायन पर्यटन पुरस्कार योजना'' वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 के लिए भी चलाई जा रही है। योजना का विवरण नीचे दिया गया है:-

1. योजना का उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य भारतीय पर्यटन से सम्बन्धित विषयों पर हिन्दी में मौलिक पुस्तक लेखन को बढ़ावा देना है।

2. योजना अवधि

इस योजना के तहत 1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 एवं 1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक की अवधि में प्रकाशित पुस्तक अथवा टंकित पाण्डुलिपियाँ स्वीकार की जाएंगी।

3. पुरस्कार

इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे:-

क्र.सं.	पुरस्कार	पुरस्कारों की संख्या	पुरस्कार राशि
1.	प्रथम	एक	40,000/- रुपये
2.	द्वितीय	एक	30,000/- रुपये
3.	तृतीय	एक	20,000/- रुपये
4.	सांत्वना	एक	10,000/- रुपये

4. विषय

इस योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित विषयों पर प्रकाशित पुस्तकें/पांडुलिपियाँ विचारार्थ स्वीकार की जाएंगी:-

1. पर्यटन से सम्बन्धित विषय जैसे साहसिक पर्यटन, खेल पर्यटन, समुद्रतट पर्यटन, वन्य जीव पर्यटन, पर्वतारोहण, पैदल पथ भ्रमण (ट्रेकिंग), पर्वतीय पर्यटन, जल क्रीड़ाएं, अवकाश एवं सावकाश पर्यटन आदि;
2. पर्यटन सम्बन्धी यात्रावृत्त/वृतांत तथा यात्रा उद्योग सम्बन्धी पुस्तक;
3. होटल उद्योग, होटल प्रबंध, अनुप्रयुक्त पोषाहार तथा केटरिंग तकनालॉजी;
4. भारत के पर्यटक स्थल तथा वहाँ उपलब्ध/उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाएं और पर्यटन की अवसंरचनात्मक सुविधाएं तथा पर्यटन संवर्धन की सम्भावनाएं;
5. ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत का रख-रखाव और संरक्षण;
6. पर्यटकों को उपलब्ध कराई जाने वाली मनोरंजन सुविधाएं और इस बारे में रचनात्मक सुझाव;
7. पर्यटक सम्बन्धी आंकड़े, योजनावार बजट तथा पर्यटन संवर्धन के उपाय;
8. राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मेले, त्योहारों, प्रदर्शनियों, सम्मेलनों एवं समागमों का आयोजन और उपलब्ध/उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं का विवेचन;
9. पर्यटक आगमन को बढ़ाने वाले घटक यथा ट्रैवल एजेंट्स, टूर ऑपरेटर, पर्यटक कार ऑपरेटर एवं होटल मालिकों से सम्बन्धित नियम, उनका अनुपालन और सुझाव;
10. उपर्युक्त विषयों के अलावा पर्यटन से सम्बन्धित अन्य कोई विषय, आदि; और

11. भारतीय पुरातत्व, जैसे स्मारक एवं उनका रख-रखाव, पुरालेख, संग्रहालय, उत्खनन आदि और पुरातत्व महत्व का कोई भी अन्य विषय।

5. पात्रता

- इस योजना में पर्यटन मंत्रालय तथा भारतीय पुरात्व सर्वेक्षण के कार्यरत और सेवानिवृत अधिकारी/कर्मचारी सहित भारत के सभी नागरिक भाग ले सकते हैं।
- यहाँ मूल हिन्दी पुस्तक से अभिप्राय यह है कि जो प्रतिभागी/लेखक द्वारा स्वत: मूल रूप से हिन्दी में लिखी गई हो;
- जो किसी लेखक द्वारा किसी अन्य भाषा में लिखी गई पुस्तक या लेख का प्रतिभागी द्वारा किया गया अनुवाद न हो;
- जो प्रतिभागी द्वारा स्वयं मूल रूप से किसी अन्य भाषा में लिखी पुस्तक का अथवा प्रतिभागी द्वारा या किसी व्यावसायिक अनुवादक द्वारा किया गया अनुवाद न हो;
- जो प्रतिभागी द्वारा अपनी शासकीय हैसियत में या अपनी शासकीय कार्य के अंग के रूप में मूल रूप से हिन्दी में या किसी अन्य भाषा में नहीं लिखी गई हो;
- जो प्रतिभागी द्वारा स्वयं अथवा किसी व्यावसायिक अनुवादक द्वारा किया गया, प्रतिभागी द्वारा शासकीय हैसियत में और अपने शासकीय कार्य के अंग के रूप में अंग्रेजी में अथवा किसी अन्य भाषा में लिखी गई किसी पुस्तक अथवा लेख का, हिन्दी अनुवाद न हो;
- जो प्रतिभागी द्वारा स्वयं अथवा किसी अन्य द्वारा तैयार किया गया, प्रतिभागी द्वारा उनकी शासकीय हैसियत में और उसके शासकीय कार्य के अंग के रूप में अंग्रेजी में अथवा किसी अन्य भाषा में पहले से ही लिखी गई और अथवा प्रकाशित पुस्तक अथवा लेख के विशद अथवा संक्षिप्त सार रूप में हिन्दी पाठ न हो; और
- जो किसी सरकारी ठेके के अन्तर्गत या किसी सरकारी योजना के अनुसार लिखी गई पुस्तक न हो।
- इस योजना के अन्तर्गत पुरस्कार के लिए भेजी गई प्रकाशित पुस्तक लेखक की अपनी मौलिक कृति होनी चाहिए और उससे किसी अन्य व्यक्ति के कॉपीराईट का उल्लंघन नहीं होना चाहिए।

6. पुरस्कार हेतु प्रविष्टियों का मूल्यांकन एवं निर्णय

इस योजना के अन्तर्गत पुरस्कारों के विचारार्थ प्राप्त प्रविष्टियों का मूल्यांकन, मूल्यांकन समिति करेगी। पुरस्कार समिति मूल्यांकन समिति द्वारा प्रस्तुत मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर पुरस्कारों का निर्णय लेगी। ये पुरस्कार पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिए जाएंगे।

जिन प्रविष्टियों पर पुरस्कार के प्रयोजनार्थ एक बार विचार हो चुका है उन पर पुरस्कार की मंजूरी के सम्बन्ध में पुन: विचार नहीं किया जाएगा।

पुरस्कार के सम्बन्ध में मंत्रालय का निर्णय अंतिम होगा और इस बारे में कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा।

7. प्रविष्टियां भेजने की विधि

1. इस योजना के अन्तर्गत पुरस्कार के विचारार्थ, प्रकाशित पुस्तकें या टंकित पांडुलिपियाँ, दोनों स्वीकार की जाएंगी।
2. इस योजना के अन्तर्गत प्रतिभागियों को संलग्न प्रविष्टि फार्म में यह वचन देना होगा कि योजना के अन्तर्गत भेजी गई पुस्तक अथवा पांडुलिपि पैरा 5 में दी गई परिभाषाओं/शर्तों/मापदंडों के अनुसार हिन्दी में लिखी गई मूल कृति है।

3. प्रतिभागियों को पुस्तक/टंकित पाण्डुलिपि की 6 प्रतियों और दो टंकित पृष्ठों में पुस्तक के सार के साथ प्रविष्टि फार्म विधिवत भरकर संयुक्त निदेशक (राजभाषा), पर्यटन मंत्रालय, कमरा सं. 2, 7वां तल, ईस्ट विंग, चंद्रलोक बिल्डिंग, नई दिल्ली-110011 को **25 मार्च, 2022 तक** भेजना होगा। मंत्रालय में निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाली प्रविष्टियों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। योजना के तहत प्राप्त पांडुलिपियाँ/पुस्तकें वापिस नहीं लौटाई जाएंगी।
4. यदि कॉपीराइट का प्रश्न उठता है तो लेखक को कॉपीराइट धारक की अनुज्ञा की मूल प्रति तथा एक अभिप्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी होगी। जाँच के बाद मूल प्रति लेखक को लौटा दी जाएगी तथा अभिप्रमाणित प्रतिलिपि मंत्रालय में रिकॉर्ड के लिए रख ली जाएगी।
5. इस योजना का विवरण तथा प्रविष्टि फार्म व्यक्तिगत रूप से अथवा डाक द्वारा संयुक्त निदेशक (राजभाषा) **पर्यटन मंत्रालय, कमरा सं. 2, 7वां तल, ईस्ट विंग, चंद्रलोक बिल्डिंग, नई दिल्ली-110011 से प्राप्त किया जा सकता है। इस योजना का विवरण इस मंत्रालय की वेबसाइट www.tourism.gov.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है।**

पर्यटन सम्बन्धी विषयों पर मूल रूप से हिन्दी में लिखी पुस्तकों के लिए राहुल सांकृत्यायन पर्यटन पुरस्कार योजना (वर्ष 2019-20 एवं 2020-21)

प्रविष्टि प्रपत्र

1.	पुस्तक/पाण्डुलिपि का शीर्षक/नाम			
2.	विषय			
3.	लेखक का नाम व पूरा पता, दूरभाष			
4.	पांडुलिपि लिखने की तारीख, माह और वर्ष	तारीख	माह	वर्ष
5.	प्रकाशक का नाम व पूरा पता (प्रकाशित पुस्तक के सम्बन्ध में)			
6.	पुस्तक का प्रकाशन वर्ष तारीख व माह के साथ लिखा जाए	तारीख	माह	वर्ष
7.	प्रकाशित पुस्तक का संस्करण (प्रथम, द्वितीय अथवा संशोधित/परिवर्द्धित)			
8.	(क) क्या इससे पूर्व भी किसी अन्य प्रतियोगिता में यह पुस्तक/पांडुलिपि अथवा इसका कोई अन्य संस्करण प्रविष्टि के रूप में गया था। यदि हां, तो किस वर्ष			
	(ख) क्या इसे कोई पुस्तक मिला यदि हां, तो प्रतियोगिता का नाम बताएं			
9.	यदि प्रकाशित पुस्तक है तो इसका कापीराइट किसके नाम है।			
10.	कृपया पुस्तक/पांडुलिपि का सार (कम से दो पृष्ठों में) संलग्न किया जाए।			

मैं/हम यह प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा यह पुस्तक मूल रूप से हिन्दी में लिखी गई है। यह हमारे या किसी अन्य द्वारा किसी अन्य भाषा में लिखी पुस्तक का हिन्दी अनुवाद नहीं है। मैंने/हमने यह पुस्तक शासकीय हैसियत या शासकीय कार्य के अंग के रूप में अथवा सरकारी ठेके या अन्य स्कीम के अन्तर्गत नहीं लिखी है। योजना की शर्तों को मैं स्वीकार करता हूँ/हम स्वीकार करते हैं।

हस्ताक्षर ....

लेखक का नाम ....

पता.................................

....

मोबाइल नं.........................

दिनांक ....

भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय

राहुल सांकृत्यायन पर्यटन पुरस्कार योजना 2019-20 और 2020-21

पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार **राहुल सांकृत्यायन पर्यटन पुरस्कार योजना वर्ष 2019-20 एवं 2020-21** के अधीन प्रविष्टियां आमंत्रित करता है। यह योजना **पर्यटन से संबंधित विषयों पर** हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए है। **प्रविष्टियां (i) 01 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020**, **(ii) 01 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021** तक की अवधि में प्रकाशित पुस्तक अथवा टाइप की गई पांडुलिपि के रूप में होनी चाहिए। इस योजना के अधीन निम्नलिखित पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे:-

क्र.सं.	**पुरस्कार**	**संख्या**	**राशि**
1.	प्रथम पुरस्कार	1(एक)	40,000/- रूपये
2.	द्वितीय पुरस्कार	1(एक)	30,000/- रूपये
3.	तृतीय पुरस्कार	1(एक)	20,000/- रूपये
4.	सांत्वना पुरस्कार	1(एक)	10,000/- रूपये

प्रविष्टियां विधिवत् रूप से निर्धारित प्रोफार्मा में भरकर पुस्तक / पांडुलिपि की 6 (छह) प्रतियों के साथ 25 मार्च, 2022 **तक संयुक्त निदेशक (राजभाषा), पर्यटन मंत्रालय, 7वां तल, ईस्ट विंग, चंद्रलोक बिल्डिंग, नई दिल्ली-110011,** फोन: 011-23724155 को भेज दी जाएं। मंत्रालय में निर्धारित तारीख के बाद प्राप्त होने वाली प्रविष्टियों पर विचार नहीं किया जाएगा। योजना के ब्योरे और निर्धारित प्रोफार्मा मंत्रालय की वेबसाइट अर्थात् www.tourism.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

अतुल्य ! भारत

8x9

Government of India
MINISTRY OF TOURISM

Rahul Sankrityayan Tourism Award Scheme 2019-20 and 2020-21

Ministry of Tourism, Government of India invites entries **under Rahul Sankrityayan Tourism Award Scheme for the year 2019-20 and 2020-21** which is for encouraging original book writing in Hindi on **subjects related to tourism**. Entries should be in the form of a typed manuscript or a book published within the period of (i) **1st April, 2019 to 31st March, 2020** and (ii) **2020 to 31st March, 2021**. The following awards shall be given under this scheme:

S. No.	Award	No.	Amount
1.	First prize	1 (one)	Rs. 40,000/-
2.	second Prize	1 (one)	Rs. 30,000/-
3.	Third Prize	1 (one)	Rs. 20,000/-
4.	consolation Prize	1 (one)	Rs. 10,000/-

Entries may be sent in duly filled in prescribed proforma along with 6 (six) copies of Book/Manuscript by 25 **March, 2021 to Joint Director (O.L.), Ministry of Tourism, 7th Floor, Chandra Lok Building, 36 Janpath New Delhi-110011,** Phone: 011-23724155. Entries received in the ministry after due date will not be entertained. Details of the Scheme and prescribed Proforma can be downloaded from the website of the Ministry i.e. **www.tourism.gov.in**

Incredible !ndia

8x9